न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 29/2017

1. सतीश कुमार पुत्र ताराचन्द जाति अरोडा निवासी चक 27 जी जी तह0 श्रीगंगानगर, प्रेम नगर, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. सुरेश कुमार पुत्र ताराचन्द जाति अरोडा निवासी चक 27 जी जी तह0 श्रीगंगानगर, वर्तमान निवासी 191 रामदेव कॉलोनी, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. विनोद कुमार पुत्र ताराचन्द जाति अरोडा निवासी चक 27 जी जी तह0 श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी 1/84 सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. सुमित्रा देवी पत्नी ताराचन्द अरोडा निवासी चक 27 जी जी तह0 श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. रमेश लाल पुत्र ताराचन्द जाति अरोडा निवासी रामदेव कॉलोनी, नजदीक वृद्ध आश्रम, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता — वादी
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–** 8/9/17

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3, 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी चक 27 जी जी तह0 श्रीगंगानगर का निवासी है तथा वर्तमान में प्रेम नगर, श्रीगंगानगर में निवास करता है एवं उसके परिवार का जीवन निर्वाह खेती आय पर ही निर्भर है।

वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 4 सगे भाई तथा प्रति संख्या 3 वादी की माता है। वादी के पिता श्री ताराचन्द का देहान्त दिनांक 15.12.2000 को हुआ। वादी तथा उसके पिता व उसके भाईयों (प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, व 4) का संयुक्त हिन्दु खानदान की आय से वादी के पिता के जीवनकाल में प्रति0 सं.3 के नाम निम्नलिखित भूमि बनाई गई:–

1. चक 5 एम एल तह0श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/132, मु0 न0 46 के किला न0 2, 3,/1, 8/2,/9, 10 की कुल 0.949 हैक0
2. चक 5 एम एल तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 132/133, मु0 नं0 46, 63 की कुल 1.468 हैक0 में से 1.059 हैक0
3. चक 5 एम एल तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 94/97, मु0 नं0 35, 45, 48, 62 की कुल 11.348 हैक0 में से 1.568 हैक0

प्रति0 सं0 3 चूंकि वादी के पिता के देहान्त के उपरान्त परिवार का मुखिया थी अतः उसी खुशी को देखते हुए समस्त भूमि जो प्रति0 सं0 3 नाम चक 5 एम एल के उपरोक्त तीनों खातों में उसके नाम दर्ज थी को उसके नाम ही दर्ज रहने दिया गया, क्योंकि आपस में सम्बन्ध मधुर बने रहे इस बात को देखते हुए उस समय रिकॉर्ड में बंटवारा का अमलदरामद नहीं करवाया गया जबकि जिसके हिस्सा में जो भूमि आयी उसकी आय वहीं प्राप्त करता रहा तथा उसका ही अधिकार भूमि पर बना रहा, मिलकर हिस्सा ठैका पर देकर काश्त करवाया जाता रहा।

कालान्तर में प्रति0 सं0 1 व 2 के मन में लालच आ जाने के कारण उनके द्वारा बिना वादी की सहमति के प्रतिवादी सं0 3 से उसको बहला फुसलाकर 3–3 बीघा का दान–पत्र अपने नाम से दिनांक 14.08.2012 को करवा लिया गया। जबकि इन दान–पत्रों के आधार पर आज तक राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नहीं हुआ तथा प्रति0 सं03 द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट , श्रीगंगानगर में धारा 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिस पर निर्णय परित करते हुए दोनों दान–पत्रों को शून्य घोषित करने का आदेश पारित किया गया। जिस पर प्रति0 सं0 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस बी सिविल रिट पेटीशन सं0 12039/13 पेश की गई तथा इसमे नुमाइशी राजीनामा पेश कर दिनांक 17.09.2014 को गलत आदेश पारित करवाया गया जबकि वास्तव में पारिवारिक समझौता के अनुसार वादी की भूमि में हक हिस्सा चला आ रहा है मगर उसको किसी प्रकार से पक्षकार ही नहीं बनाया गया।

प्रतिवादी सं0 3 ने चक 5 एम एल के खता सं0 94/97 में अपने नाम दर्ज 1.568 हैक0 में से 1.138 हैक0 भूमि का बेचान 2013 में कर दिया गया क्योंकि इस खाता की भूमि प्रति0 सं0 3 के हिस्सा की भूमि को विक्रय करने में स्वतंत्र थी। इस प्रकार प्रति0 सं0 3 के पास खाता सं0 94/97 की 0.430 हैक0 तथा खाता सं0 132/133 की 1.059 हैक0 में से 0.319 हैक0 बची हुई है। जिसकी वह खातेदार हकदार है। दोनों दान–पत्रों को शून्य घोषित करने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 2 के द्वारा आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार वह अपने हक में हुए दान–पत्र दिनांक 14.08.2012 को आज भी शून्य होने पर सहमत है।

प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आ आने के कारण व कथित दान–पत्र दिनांक 14.08.2012 जो कि शुरू से ही शून्य है व वादी के अधिकारों पर बेअसर है का अनुचित लाभ उठाकर अपने नाम से इंतकाल करवाने तथा रकबा को मुंतकिल करने की कोशिश में है व वादी को पारिवारिक समझौता में मिली भूमि से बेदखल करने के प्रयास में है। यदि वह इसमे सफल हो गया तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकासान होगा, अतः उसके लिये दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

वादी ने प्रतिवादीगण से बार–बार आग्रह किया कि वह पारिवारिक समझौता के अनुसार वादी के हिस्सा व कब्जा में आयी भूमि का वादी को खातेदार हकदार मानकर तथा कथित दोनों दान–पत्र दिनांक 14.08.2012 जो कि पारिवारिक समझौता के अनुसार शुरू से शून्य है को शून्य मान कर एवं इसके आधार पर यदि कोई इंतकाल आदि करवाया है तो उसको भी शून्य मानकर वाद–पत्र की चरण सं0 3 के अनुसार हकदार मान लेवें तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये मगर वह लालचवश होने के कारण टालमटोल करते हुए दिनांक 01.03.2017 को साफ इन्कारी है, अतः यही बिनाए मुखासमत है।

वाद वादी, बहक वादी, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नलिखित से डिक्री फरमाये जाने बाबात निवेदन किया :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(क) डिक्री घोषण इस अमर की सादिर की जावे कि वादी पारिवारिक समझौता के अनुसार वाद–पत्र की चरण सं0 3 के अनुसार चक 5 एम एल तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 133/132, मु0 नं0 46 की 0.949 हैक्0 का खातेदार काश्तकार हकदार है तथा प्रति0 सं0 3 से करवाये गये कथित दान–पत्र दिनांक 14.08.2012 जो 3–3 बीघा के प्रति0 सं0 1 व 2 के हक में करवाये गये को उनसे पेश करवा कर शून्य घोषित करते हुए वादी के अधिकारों पर बेअसर करार दिया जावे तथा वादी के हिस्सा की उपरोक्त भूमि उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) डिक्री घोषण इस अमर की सादिर की जावे कि वाद–पत्र की चरण सं0 3 में अंकित अनुसार प्रति0 सं0 1 व 2 प्रत्येक चक 5 एम एल के खता सं0 132/133, मु0 नं0 46, 63 प्रतिवादी सं0 3 ाम दर्ज 1.059 हैक्0 में से 0.370 हैक्0 का ही खातेदार हकदार है तथा कथित दान–पत्र जो शून्य दस्तावेज है से प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए तथा यदि कोई इंतकाल आदि करवाया गया है तो भी शून्य होने से वादी के अधिकारों पर बेअसर है तथा प्रति0 सं0 3 खाता सं0 132/133 में उनके नाम दर्ज भूमि में से 0.319 हैक्0 व खाता संख्या 94/97 में 0.430 हैक्0 ही खातेदार हकदार है।

(ग) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के हिस्सा की उपरोक्त अराजी चक 5 एम एल के खता सं0 133/132 मु0 नं0 46 के 0.949 हैक्0 में से किसी प्रकार से मदाखलत करने, मुंतकिल करने व वादी को बेदखल करने से बाज व ममनु रहे। अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की तामील विधिवत होने पर प्रतिवादी संख्या 4 के असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको तस्दीक किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि हम पक्षकारान के मध्य कृषि भूमि वाके चक 5 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 133/132 की 0.949 हैक्0 व खाता संख्या 132/133 की कुल 1.468 हैक्0 तथा खाता संख्या 94/97 की कुल .430 हैक्0 कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 4 सुमित्रा देवी के नाम से है उक्त सम्पत्ति को लेकर विवाद पक्षकारान के मध्य भिन्न–भिन्न अदालतो में चल रहे हैं, जिनका राजीनामा बिरादरी के मौतबीरान एवं पंचायत ने आपस में राजीनामा करवा दिया है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 वा 4 आपस में सगे भाई है व प्रतिवादिया सं0 3 वादी एवं प्रतिवादीगण की माता है प्रतिवादी सं.4 रमेश कुमार के नाम से पूर्व में ही कृषि भूमि खरीद कर उसके नाम से लगवाई हुई है तथा प्रतिवादिया सं.3 अपने उपरोक्त वर्णित भूमि में से चक 5 एम एल तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं. 133/132 मुरब्बा नं.46 के किला नं. 2, 3/1, 8/2, 9 व 10 की कुल 0.949 हैक्0 रकबा अपने पुत्र वादी सतीश कुमार को तथा चक 5 एम एल के खता सं. 94/97 की कुल 0.430 हैक्0 कृषि भूमि अपने पुत्र प्रतिवादी सं. 1 सुरेश कुमार कोतथा इसी चक के खता सं. 132/133 में स्थित प्रतिवादी सं.3 के स्वामित्व व आधिपत्य में रहेगी तथा उपरोक्तानुसार ही आपस में विभाजन कर पंचायत व मौतबीरान में काबिज करवा दिया है। इस कारण बरूए राजीनामा अब हम पक्षकारान का समपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है, इस कारण बयए राजीनामा उपरोक्तानुसार समपत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण सं.1 ता 2 के नाम प्रतिवादी सं. 3 के खता से काटकर राजस्व अभिलेख में अंकित कर दी जावे तो प्रतिवादी सं.3 को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त राजीनामा में पंचायत एवं मौतबीरान ने यह भी तय पाया है कि प्रतिवादी संख्या 3 के शेष बची सम्पत्ति में प्रतिवादी सं.1 का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा तथा उक्त

बरूए राजीनामा यह भी तक पाया गया कि प्रतिवादी सं.3 के पास जो सम्पत्ति बची है वह उसी से ही अपना भरण–पोषण करेगी। प्रतिवादी सं.1 से भरण–पोषण की कोई राशि कलेम नहीं करेगी। इसके अलावा यदि किसी भी पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के विरूद्ध इस मुकदमा के अलावा अनय दीवानी या फौजदारी मुकदमे कर रखे है तो उन्हें भी सभी पक्ष वापिस लेने हेतु पाबंद रहेंगे।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकीयात नहीं बनाई गई। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र पेश नहीं किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राज़स्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है।

अतः पक्षकारान राजीनामा के अनुसार वर्णित कृषि भूमि के लिये खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

–:: आदेश ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 14.08.2012 को 3–3 बीघा के लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में निष्पादित दान पत्र शून्य घोषित किया जाता है तथा उक्त दान पत्र के अनुसार किसी भी प्रतिवादी द्वारा कोई इन्तकाल वगैरह करवाया है तो उसको भी शून्य घोषित किया जाता है तथा राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 की चक 5 एमएल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/132 के मुरब्बा नंबर 46/63 में जो भूमि उसके नाम से है उसमे वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का निम्नानुसार हिस्सा तय किया जाकर खातेदार घोषित किया जाता है :–

प्रतिवादी संख्या 3 सुमित्रा देवी के हिस्सा भूमि में से वादी सतीश कुमार को चक 5 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 133/132 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2, 3/1, 8/2, 9 व 10 की कुल 0.949 हैक0 भूमि, प्रतिवादी सुरेश कुमार को चक 5 एम एल के खाता सख्या 94/97 की कुल 0.430 हैक0 कृषि भूमि, प्रतिवादी विनोद कुमार के चक 5 एम एल के खाता संख्या 133/132 में 1.059 हैक0 भूमि में से 0.430 हैक0 भूमि देने के पश्चात् शेष बची भूमि का सुमित्रा देवी को खातेदार घोषित किया जाता है। इसके अलावा यह भी आदेश दिया जाता है कि वादी के हिस्सा में आयी भूमि अराजी चक 5 एम एल के खाता संख्या 133/132 मुरबा नंबर 46 के 0.949 हैक0 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत करके मुंतकिल करने व वादी को बेदखल करने से बाज व ममनू रहे।

(राजस्व)

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम करे।

नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 08.09.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर